इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 24 जनवरी 2014—माघ 4, शक 1935

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुर:स्थापित विधेयक,
(ख)(1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2014

क्र. ई.-5-607-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. सी. गुप्ता, आयएएस., तत्कालीन कमिश्नर, उज्जैन संभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 12 दिसम्बर 2013 द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से 4 जनवरी 2014 तक, छ: दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश दिनांक 5 जनवरी 2014 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति के साथ स्वीकृत करते हुए अवकाश अवधि में प्रभार श्री बी. एम. शर्मा, भाप्रसे कलेक्टर, उज्जैन को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा गया था.

(2) श्री के. सी. गुप्ता के श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर के पद पर स्थानांतरण होने के फलस्वरूप अवकाश अवधि में उनका प्रभार अब श्री संजय दुबे, कमिश्नर, इन्दौर संभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा श्रम आयुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री संजय दुबे उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

क्र. ई.-5-816-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री संजीव सिंह, आयएएस., कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर को दिनांक 30 दिसम्बर 2013 से 10 जनवरी 2014 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 11 एवं 12 जनवरी 2014 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014

(2) श्री संजीव सिंह की अवकाश अवधि में श्री दीपक सक्सेना, अपर कलेक्टर (विकास) एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, नरसिंहपुर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर का प्रभार सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव सिंह को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री संजीव सिंह, द्वारा कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री दीपक सक्सेना, कलेक्टर जिला नरसिंहपुर के प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री संजीव सिंह, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव सिंह अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2014

क्र. ई.-5-416-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. सुरेश, आयएएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा परिवहन विभाग को दिनांक 28 दिसम्बर 2013 से 8 जनवरी 2014 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. सुरेश, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा परिवहन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री के. सुरेश को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सुरेश, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई.-5-670-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्रीमती अलका उपाध्याय, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल को दिनांक 6 से 10 जनवरी 2014 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्रीमती अलका उपाध्याय की अवकाश की अवधि में उनका प्रभार डॉ. रवीन्द्र पस्तौर, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं पदेन अपर विकास आयुक्त, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अलका उपाध्याय को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती अलका उपाध्याय द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर डॉ. रवीन्द्र पस्तौर उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती अलका उपाध्याय को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अलका उपाध्याय, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ॲन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2014

क्र. एफ 1 (ए)-400-88-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10/13 फरवरी 2009 द्वारा श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (पुलिस सुधार/सामुदायिक पुलिसिंग), पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 17 जनवरी से 17 मार्च 2009 तक, कुल साठ दिवस का स्वीकृत किया गया अर्जित अवकाश, राज्य शासन द्वारा निरस्त करते हुए उन्हे दिनांक 16 मार्च से 15 मई 2009 तक, कुल बासठ दिवस का अर्जित अवकाश उपभोग पश्चात् स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, को दिनांक 12 अक्टूबर से 18 नवम्बर 2011 तक, कुल अढ़तीस दिवस का अर्जित अवकाश उपभोग पश्चात् स्वीकृत किया जाता है.

(3) श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे को दिनांक 13 सितम्बर से 1 अक्टूबर 2013 तक, कुल उन्नीस दिवस का लघुकृत अवकाश उपभोग पश्चात् स्वीकृत किया जाता है. इनके अवकाश खाते से अढ़तीस दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जायेगा.

(4) अवकाशकाल में श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(5) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरुषोत्तम शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2014

क्र. एफ 1 (ए)62-2001-बी-2-दो.—श्री राकेश गुप्ता, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, इन्दौर रेंज शहर, इन्दौर को दिनांक 4 से 6 नवम्बर 2013 तक, तीन दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 3 नवम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाशकाल में श्री राकेश गुप्ता, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राकेश गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए)-265-1986-ब-2-दो.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2012 द्वारा श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2013 तक, नौ दिवस अर्जित अवकाश, 21 एवं 22 दिसम्बर 2013 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया गया था.

(2) श्री सरबजीत सिंह, भापुसे, द्वारा उपर्युक्तानुसार स्वीकृत अवकाश का उपभोग न करने के कारण राज्य शासन द्वारा उक्त आदेश दिनांक 4 दिसम्बर 2012 को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. स्वाई, प्रमुख सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2014

क्र. डी-15-1-2014-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विर्निदिष्ट की गई कृषि उपज का होशंगाबाद जिले की बाबई तहसील के विकासखण्ड एवं तहसील बाबई में समाविष्ट समस्त राजस्व एवं वन ग्राम के क्षेत्र में कृषि उपज के क्रय-विक्रय का विनियमन करने के लिये बाबई में पृथक् मंडी स्थापित करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2014

क्र. डी.-15-1-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 जनवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 8th January 2014

No. D-15-1-2014-XIV-3.—WHEREAS, in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declares its intention to establish a Seprate market at Babai for the purpose of the "Said Act" for regulating the purchase and sale of agricultral produce mentioned in the schedule of the said Act, including all revenue and forest villages of the area of Development Block and Tehsil Babai in Hoshangabad district.

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within Six weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradcsh Gazette" will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2014

क्र. डी-15-1-2014-चौदह-3.—चूंकि, राज्य शासन ने मध्यप्रदेश, कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 4 के अधीन जारी की गई इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी-15-26-98-चौदह-3, दिनांक 26 सितम्बर 2003 द्वारा कृषि उपज मंडी होशंगाबाद में समाविष्ट होशंगाबाद जिले की बाबई व होशंगाबाद तहसील के विकासखण्ड बाबई व होशंगाबाद के क्षेत्र में (जो इसमें इसके पश्चात् ''उक्त मण्डी क्षेत्र'' के नाम से निर्दिष्ट है), उक्त अधिसूचना में निर्दिष्ट कृषि उपजों के क्रय-विक्रय को विनियमित किया था.

और, चूंकि, ''उक्त मण्डी क्षेत्र'' में होशंगाबाद जिले की तहसील एवं विकासखण्ड बाबई में समाविष्ट क्षेत्र (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त क्षेत्र के नाम से निर्दिष्ट है) को विपाटित करके पृथक् मंडी स्थापित करना प्रस्तावित है.

अतएव, मध्यप्रदेश, कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 70 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ''उक्त मण्डी क्षेत्र'' में ''उक्त क्षेत्र'' को विपाटित करके बाबई में पृथक् मंडी स्थापित करने के अपने आशय को संज्ञापित करती है.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो लिखित में किसी भी व्यक्ति से इस अधिसूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशित होने के दिनांक से 6 सप्ताह की कालावधि के भीतर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 जनवरी 2014

क्र. डी-15-1-2014-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 8 जनवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हेमराज सिंह, अवर सचिव.

Bhopal, the 8th January 2014

No. D-15-1-2014-XIV-3.—WHEREAS, by this Department Notification No. D-15-26-98-XIV-3, dated 26th September 2003 issued under the provisions of Section 4 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government regulated the purchase and sale of the Agricultural produce specified in the said notification for Krishi Upaj Mandi Hoshangabad in the area comprised of Development Block Hoshangabad and Babai in Tehsil Hoshangabad and Babai of Hoshangabad District, (here in after referred to as the"said market area").

AND, WHEREAS, it is now proposed to establish a seprate market by splitting the area comprising of Development Block and Tehsil Babai of Hoshangabad District (here in after referred to as the "said area").

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub-section (1) of Section 70 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby signifies its intention to establish a seperate market at Babai by splitting the "said area" from the "said market area".

Any objection which may be received in writing by the Principal Secretary to Government of Madhya Pradesh, Farmer Welfare and Agriculture Development Department, Bhopal from any person with respect to this Notification within Six Weeks from the date of publication of this Notification in the "Madhya Pradesh Gazette" will be considered by the State Government.

By order and in the name of the Governor
of Madhya Pradesh,
HEMRAJ SINGH, Under Secy.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2014

क्रमांक एफ. 13-39-2011-तेरह.—यत:, राज्य में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन देने एवं ''उद्योग संवर्धन नीति, 2010 तथा कार्य योजना'' के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ-16-35-2013-बी-11, दिनांक 4 अक्टूबर 2013 द्वारा ट्रायडेंट समूह की कंपनियों यथा मेसर्स ट्रायडेंट कार्पोरेशन लिमिटेड एवं मेसर्स ट्रायडेंट लिमिटेड द्वारा बुदनी, जिला सीहोर में एक ही परिसर में पूर्व से स्थापित या स्थापित की जा रही या प्रस्तावित परियोजनाओं को मेसर्स ट्रायडेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के टेक्सटाइल परियोजना के अंतर्गत केप्टिव पॉवर संयंत्र से उत्पादित विद्युत के उपभोग पर शुल्क के उद्ग्रहण से पूर्णत: छूट प्रदान की गई है.

अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17, सन् 2012) की धारा 5 के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मेसर्स ट्रायडेंट समूह की कम्पनियों यथा मेसर्स ट्रायडेंट कार्पोरेशन लिमिटेड एवं मेसर्स ट्रायडेंट लिमिटेड के बुदनी, जिला सीहोर में एक ही परिसर में पूर्व से स्थापित या स्थापित की जा रही या प्रस्तावित परियोजनाओं को मेसर्स ट्रायडेंट कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित टेक्सटाइल परियोजना के अंतर्गत

केप्टिव पॉवर संयंत्र से उत्पादित विद्युत के उपभोग पर शुल्क के उद्ग्रहण से पूर्णतः छूट प्रदान करती है.

यह अधिसूचना इसके "मध्यप्रदेश राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी तथा 10 वर्षों तक प्रभावी रहेगी.

No. F-13-39-2011-XIII.—WHEREAS, in order to encourage establishment of industries in the State and to fullfill the objectives of "Industrial Promotion Policy, 2010 and Action Plan", the Commerce, Industries and Employment Department's *vide* order No. F-16-35-2013-B-XI, dated 4th October 2013 has wholly exempted the projects of Trident Group of Companies namely M/s Trident Corporation Limited and M/s Trident Limited already established/being established / proposed in the same campus at Budhani, district Sehore from levy of duty on consumption of the electricity generated by the captive power plant under the textile project of M/s Trident Corporation Limited;

NOW, THEREFORE, in exercise of powers conferred by clause (i) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby, wholly exempt the projects of Trident Group of Companies namely M/s Trident Corporation Limited and M/s Trident Limited, already established / being established / proposed in the same campus at Budhni, district Sehore from levy of duty on consumption of electricity generated by the captive power plant under the Textile project of M/s Trident Corporation Limited.

This notification shall come into force from the date of its publication in the "Madhya Pradesh Gazette" and will remain in force for 10 years.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहम्मद सुलेमान, प्रमुख सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2014

क्र. एफ. 25-12-2013-दस-3.—मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ. 110-X-1-6-1-83, दिनांक 6 जनवरी 1983 में आंशिक संशोधन करते हुए, सिवनी वन वृत्त के अंतर्गत जिला सिवनी के वर्तमान उत्तर सिवनी (उत्पादन) एवं दक्षिण सिवनी (उत्पादन) वनमंडलों को एकीकृत करते हुए सिवनी (उत्पादन) वनमंडल का निम्नानुसार पुनर्गठन किया जाता है:—

क्र.	वृत्त का नाम	जिले का नाम	वनमंडल का नाम (मुख्यालय)	उत्पादन उप वनमंडल का नाम (मुख्यालय)	उत्पादन परिक्षेत्रों एवं काष्ठागारों के नाम (मुख्यालय)	सम्मिलित क्षेत्रीय एवं बफर जोन परिक्षेत्रों के नाम (क्षेत्रीय वनमंडल)	उत्पादन वनमंडल की सीमाओं का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	सिवनी	सिवनी	सिवनी उत्पादन वनमंडल (सिवनी).	1. सिवनी (सिवनी).	1. सिवनी (सिवनी)	सिवनी (दक्षिण सिवनी) बरघाट (दक्षिण सिवनी) बंडोल (दक्षिण सिवनी) रूखड़ (दक्षिण सिवनी)	**उत्तर**—जबलपुर एवं मंडला जिलों की दक्षिणी सीमा.
					2. बाम्हनदेही काष्ठागार (बाम्हनदेही).		**पूर्व**—मंडला एवं बालाघाट, जिलों की पश्चिमी सीमा.
				2. कुरई (कुरई)	1. अरी (अरी)	घाटकोहका, (बफर जोन) रूखड़ (बफर जोन) अरी (बफर जोन)	**दक्षिण**—महाराष्ट्र राज्य की उत्तरी सीमा.
					2. कुरई (कुरई)	खवासा (बफर जोन) कुरई (दक्षिण सिवनी) खवासा (दक्षिण सिवनी)	**पश्चिम**—पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच अभयारण्य एवं छिंदवाड़ा तथा नरसिंहपुर जिलों की पूर्वी सीमा.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				3. केवलारी (केवलारी).	1. केवलारी (केवलारी).	केवलारी (उत्तर सिवनी) छपारा (उत्तर सिवनी) कान्हीवाड़ा (दक्षिण सिवनी)	
					2. घंसौर (घंसौर)	घंसौर (उत्तर सिवनी) कहानी (उत्तर सिवनी)	
				4. धूमा (लखनादौन).	1. धूमा (लखनादौन)	धूमा (उत्तर सिवनी) शिकारा (उत्तर सिवनी) लखनादौन (उत्तर सिवनी).	
					2. धूमा काष्ठागार (धूमा).		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार, सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2014

क्र. एफ-25-12-2013-दस-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ-25-12-2013-दस-3, दिनांक 15 जनवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार, सचिव.

Bhopal, the 15th January 2014

No. F 25-12-2013-X-3.—The existing North Seoni (Production) and South Seoni (Production) Divisions of Seoni Forest Circle under District Seoni are merged and reorganized as Seoni (Production) forest Division by partially amending the Notification No. 110-X-1-6-01-83, dated 06th, January, 1983 of Madhya Pradesh Government, Forest Department, Mantralaya, Vallabh Bhawan, Bhopal as under:—

S. No.	Name of Circle	Name of District	Name of Forest Division (H. Q.)	Name of Production Forest sub-Division (H. Q.)		Territorial and Buffer Zone Ranges included (Territorial Forest Division)	Details of boundaries of Productions Forest Division
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Seoni	Seoni	Seoni Production Forest Division (Seoni).	1. Seoni (Seoni)	1.Seoni (Seoni)	Seoni (South Seoni) Barghat (South Seoni) Bandol (South Seoni) Rukhad (South Seoni)	**North**—Southern boundary of district Jabalpur and Mandla. Balaghat. **East**—Western boundary of district Mandla and Balaghat. **South**—Northern boundary of Maharashtra state.
					2.Bamhandehi Depot. (Bamhandeh).		
				2.Kurai (Kurai).	1.Ari (Ari)	Ghatkohka (Buffer Zone) Rukhad (Buffer Zone) Ari (Buffer Zone)	
					2.Kurai (Kurai)	Khawasa (Buffer Zone) Kurai (South Seoni).	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Khawasa (South Seoni)	**West**—Pench National Park, Pench Sanctuary and eastern boundary of Chhindwada
				3. Keolari (Keolari).	1. Keolari (Keolari).	Keolari (North Seoni)	
						Chhapara (North Seoni)	
						Kanhiwada (South Seoni)	
					2. Ghansore (Ghansore).	Ghansor (North Seoni)	
						Kahani (North Seoni)	
				4. Dhooma (Lakhnadon).	1. Dhooma (Lakhnadon).	Dhooma (North Seoni)	
						Shikara (North Seoni)	
						Lakhnadon (North Seoni).	
					2. Dhooma Depot (Dhooma).		

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh
PRASANT KUMAR, Secy.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2014

क्र. एफ.-12-18-2012-बी-1-दो.—यत:, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि राज्य के पहचान किये गये ऐसे क्षेत्रों में जहां कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार होने की संभावनाएं अधिक हों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरुद्ध अत्याचारों के अपराधों के कारित किये जाने का निवारण किया जाए;

अतएव, इन क्षेत्रों में अत्याचारों का निवारण करने तथा केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई विधि के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के संरक्षण तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (सात) के उपबंधों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट जिलों के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट ग्राम, वार्ड/नगर के क्षेत्रों के लिये कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट पुलिस थानों को, उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन ऊपर उल्लिखित प्रयोजन के लिये अधिसूचित करती है:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	जिला	पुलिस थाना	ग्राम, वार्ड/नगर
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ग्वालियर	भितरवार	वागवई
2	रायसेन	मण्डीदीप	राहुलनगर
3	मुरैना	कैलारस	कस्बा कैलारस
		सबलगढ़	कस्बा सबलगढ़
		अम्बाह	ग्राम अम्बाह
		जौरा	कस्बा जौरा
		सिटी कोतवाली	गोपालपुरा
		माताबसैया	ग्राम परीक्षा
4	भिण्ड	देहात	महावीरनगगर वीटीआई रोड
5	विदिशा	कोतवाली	मोहनगिरि

(1)	(2)	(3)	(4)
			लोहांगीपुरा
6	श्योपुर	कराहल	कराहल
7	बैतूल	बैतूल	सदर
		आमला	आमला
		सारणी	पाथाखेड़ा
8	सीहोर	आष्टा	आष्टा
9	इन्दौर	महू	कस्बा महू
10	छतरपुर	बिजावर	कस्बा बिजावर
		बड़ामलहरा	कस्बा बड़ामलहरा.

F. 12-18-2012-B-1-Two.—WHEREAS, the State Government considers it necessary to prevent the commission of offences of atrocities against the members of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes in such identified areas of the State where there are much possibilities of atrocities on Scheduled Caste and Scheduled Tribes members;

NOW THEREFORE, with a view to prevent atrocities in these area and to ensure protection and safety of members of Scheduled Caste and Scheduled Tribes under the law made by Central Government and in order to ensure effective implementation of provisions of clause (vii) of sub-section (2) of Section 21 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989), the State Government hereby, notify the Police Stations specified in column (3) for the area of village, ward/town specified in column (4) for the District specified in column (2) of the Scheduled given below for the above mentioned purpose under the said Act and rules made thereunder:—

SCHEDULE

S. No.	District	Police Station	Village, Ward/Towns
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Gwalior	Bhitarwar	Wagwai
2	Raisen	Mandideep	Rahul Nagar
3	Morena	Kailaras	Town Kailaras
		Sabalgarh	Town Sabalgarh
		Ambaah	Village Ambaah
		Joura	Town Toura
		City Koutwali	Gopalpura
		Matabasaiya	Village Pareeksha
4	Bhind	Dehaat	Mahaveer Nagar BTI Road
5	Vidisha	Koutwali	Mohangiri, Lohangipura
6	Shyopur	Karahal	Karahal
7	Betul	Betul	Sadar
		Amla	Amla
		Sarni	Pathakheda
8	Sehore	Ashta	Ashta
9	Indore	Mahu	Town Mahu
10	Chhatarpur	Bijawar	Town Bijawar
		Badamalhara	Town Badamalhara.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. पी. गुप्ता, सचिव.

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2014

क्र. ई.-5-525-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आर. के. चतुर्वेदी, आयएएस., राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग को दिनांक 17 से 22 जनवरी 2014 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) श्री आर. के. चतुर्वेदी की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अजीत केसरी, भाप्रसे प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. चतुर्वेदी को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री आर. के. चतुर्वेदी द्वारा राहत आयुक्त एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, पुनर्वास तथा धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अजीत केसरी उक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री आर. के. चतुर्वेदी को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आर. के. चतुर्वेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-1-13-2014-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाए भा.प्र.से., अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम तथा वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्रीमती अजिता बाजपेयी पाण्डे (1981), अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग.	वि.क.अ.-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग.	अध्यक्ष राजस्व मंडल
2	श्री एस. आर. मोहन्ती (1982), वि.क.अ.-सह-सदस्य सचिव, राज्य योजना आयोग एवं पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग तथा वि.क.अ.-सह-आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार).	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग एवं वि.क.अ.-सह-आयुक्त, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम (अतिरिक्त प्रभार).	—
3	श्री संजय कुमार सिंह (1987), प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.	प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग.	—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ॲन्टोनी जे. सी. डिसा, मुख्य सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

"निर्वाचन भवन"

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)-462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2014

क्र. एफ. 67-175-10-तीन-96.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार **अध्यक्ष** का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी "निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997" "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद लिधौरा, जिला टीकमगढ़** के आम निर्वाचन में **सुश्री सुमन विनोद प्रजापति,** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. **नगर परिषद लिधौरा, जिला टीकमगढ़** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **टीकमगढ़** के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **टीकमगढ़** के पत्र दिनांक 29 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री सुमन विनोद प्रजापति** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री सुमन विनोद प्रजापति** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 16 फरवरी 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में **सुश्री सुमन विनोद प्रजापति** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री सुमन विनोद प्रजापति को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 15 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अत: उनको दिनांक 30 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा **सुश्री सुमन विनोद प्रजापति** को कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, **नगर परिषद लिधौरा, जिला टीकमगढ़** से प्राप्त पत्र दिनांक 14 अगस्त 2013 में लेख किया है कि अभ्यर्थी **सुश्री सुमन विनोद प्रजापति** ने आज दिनांक तक लेखे/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरांत अभ्यर्थी **सुश्री सुमन विनोद प्रजापति** को दिनांक 10 दिसम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई, जबकि अभ्यर्थी **सुश्री सुमन विनोद प्रजापति** को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 22 अक्टूबर 2013 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 24 नवम्बर 2013 को कराई जा चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अत: आयोग को यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अत:, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री सुमन विनोद प्रजापति** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद लिधौरा, जिला टीकमगढ़** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2014

क्र. एफ. 67-175-10-तीन-97.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार **अध्यक्ष** का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद लिधौरा, जिला टीकमगढ़** के आम निर्वाचन में **सुश्री काशीबाई ठाकुरदास खंगार,** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. **नगर परिषद लिधौरा, जिला टीकमगढ़** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **टीकमगढ़** के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **टीकमगढ़** के पत्र दिनांक 29 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री काशीबाई ठाकुरदास खंगार,** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री काशीबाई ठाकुरदास खंगार** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 16 फरवरी 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में **सुश्री काशीबाई ठाकुरदास खंगार** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री काशीबाई ठाकुरदास खंगार को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 15 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 30 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा **सुश्री काशीबाई ठाकुरदास खंगार** को कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, **नगर परिषद लिधौरा, जिला टीकमगढ़** से प्राप्त पत्र दिनांक 14 अगस्त 2013 में लेख किया है कि अभ्यर्थी **सुश्री काशीबाई ठाकुरदास खंगार,** ने आज दिनांक तक लेखे/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरांत अभ्यर्थी **सुश्री काशीबाई ठाकुरदास खंगार** को दिनांक 10 दिसम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई, जबकि अभ्यर्थी **सुश्री काशीबाई ठाकुरदास खंगार** को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 22 अक्टूबर 2013 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 24 नवम्बर 2013 को कराई जा चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री काशीबाई ठाकुरदास खंगार,** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद लिधौरा, जिला टीकमगढ़** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

आदेश

भोपाल, दिनांक 15 जनवरी 2014

क्र. एफ. 67-175-10-तीन-98.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार **अध्यक्ष** के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिये प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार **अध्यक्ष** का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ''निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश, 1997'' ''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए **नगर परिषद लिधौरा, जिला टीकमगढ़** के आम निर्वाचन में **सुश्री चढ़ार मैदा मथुरा,** अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. **नगर परिषद लिधौरा, जिला टीकमगढ़** के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी, **टीकमगढ़** के पास दाखिल किया जाना था, किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, **टीकमगढ़** के पत्र दिनांक 29 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार **सुश्री चढ़ार मैदा मथुरा** द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर **सुश्री चढ़ार मैदा मथुरा** को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 16 फरवरी 2010 को जारी किया गया. कारण बताओ सूचना पत्र में **सुश्री चढ़ार मैदा मथुरा** से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

सुश्री चढ़ार मैदा मथुरा को कारण बताओ सूचना-पत्र दिनांक 16 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 31 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, आयोग द्वारा **सुश्री चढ़ार मैदा मथुरा** को कारण बताओ सूचना-पत्र की तामीली पश्चात् निर्धारित अवधि (15 दिन) में व्यय लेखा/अभ्यावेदन प्रस्तुत किये जाने के संबंध में कलेक्टर से उनका अभिमत चाहा गया. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, **नगर परिषद लिधौरा, जिला टीकमगढ़** से प्राप्त पत्र दिनांक 14 अगस्त 2013 में लेख किया है कि अभ्यर्थी **सुश्री चढ़ार मैदा मथुरा** ने आज दिनांक तक लेखे/अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.

आयोग द्वारा विचारोपरांत अभ्यर्थी **सुश्री चढ़ार मैदा मथुरा** को दिनांक 10 दिसम्बर 2013 को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग कार्यालय में निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर बुलाया गया. अभ्यर्थी व्यक्तिगत सुनवाई में उपस्थित नहीं हुई, जबकि अभ्यर्थी **सुश्री चढ़ार मैदा मथुरा** को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र दिनांक 22 अक्टूबर 2013 की तामीली विहित समयावधि में दिनांक 24 नवम्बर 2013 को कराई जा चुकी थी.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **सुश्री चढ़ार मैदा मथुरा** का इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा **नगर परिषद लिधौरा, जिला टीकमगढ़** का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिये इस आदेश की तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिये निरर्हित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(जी. पी. श्रीवास्तव)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 10 दिसम्बर 2013

क्र. क-भू-अ.वि.अ.-2012-13-1377.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुका	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दमोह	दमोह	दमोह	83.26	संभागीय प्रबंधक म. प्र. रोड डव्हल्पमेंट कार्पोरेशन लिमि., जबलपुर.	दमोह जबलपुर मार्ग के उन्नयन कार्य हेतु भूमि अर्जन बाबत्.
		योग . .	83.26		

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दमोह संभागीय प्रबंधक, म. प्र. रोड, डव्हलमेंट कार्पोरेशन लिमि., जबलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्वतंत्र कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 18 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 001-अ-82-वर्ष 2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
पन्ना	अजयगढ़	नरदहा	निजी भूमि रकबा 2.375 है. एवं शासकीय भूमि रकबा 0.038 है. कुल रकबा 2.413 है.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना.	बरारनाला (मोकछ) तालाब योजना अन्तर्गत बॉध एवं नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, पन्ना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 04-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (1) से (4) वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	कुरवाई	रमखिरिया	0.552	भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई	रेहटी माध्यम सिंचाई परियोजना की डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण कार्य हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—रेहटी मध्यम सिंचाई परियोजना की डिस्ट्रीब्यूटरी नहर निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, कुरवाई में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

क्र. 735-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 1-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17 (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	रायपुरा	0.250	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि., इन्दौर.	बी. ओ. टी. (एन्यूटी) योजनान्तर्गत बामखल फाटा से दोगावां व्हाया बोरावां सरवरदेवला मार्ग के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि., इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 732-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 2-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17 (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	मिर्जापुर	3.070	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि., इन्दौर.	बी. ओ. टी. (एन्यूटी) योजनान्तर्गत बामखल फाटा से दोगावां व्हाया बोरावां सरवरदेवला मार्ग के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि., इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 731-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 3-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17 (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	पिपरी	2.787	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि., इन्दौर.	बी. ओ. टी. (एन्यूटी) योजनान्तर्गत बामखल फाटा से दोगावां व्हाया बोरावां सरवरदेवला मार्ग के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि., इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 734-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 4-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के

खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17 (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	काकरियाव	0.061	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि., इन्दौर.	बी. ओ. टी. (एन्यूटी) योजनान्तर्गत बामखल फाटा से दोगावां व्हाया बोरावां सरवरदेवला मार्ग के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि., इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 733-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 5-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17 (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	उमरिया	0.270	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि., इन्दौर.	बी. ओ. टी. (एन्यूटी) योजनान्तर्गत बामखल फाटा से दोगावां व्हाया बोरावां सरवरदेवला मार्ग के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि., इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 736-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 7-अ-82-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों

के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उक्त अधिनियम की धारा-5 (क) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे. क्योंकि उनकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1) सह 17 (4) के उपबंध इसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	कसरावद	रणगांव	0.720	संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि., इन्दौर.	बी. ओ. टी. (एन्यूटी) योजनान्तर्गत बामखल फाटा से दोगावां व्हाया बोरावां सरवरदेवला मार्ग के निर्माण हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, कसरावद एवं संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमि., इन्दौर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 9 जनवरी 2014

क्र. 13-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	सेगांव	सांगवी	1.427	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन.	भड़वाली तालाब की नहर निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नवनीत मोहन कोठारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खिलचीपुर, दिनांक 7 जनवरी 2014

संशोधित अधिसूचना

क्र. 118-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	नेगड़िया	1.913	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	जगन्नाथपुरा तालाब के पाल, डूब, वेस्टवीयर तथा नहर निर्माण में प्रभावित भूमि का अर्जन.
		अमरपुरा	1.900		
		मयापुरा	0.012		
		जगन्नाथपुरा	0.457		
		योग . .	4.282		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजगढ़, दिनांक 7 जनवरी 2014

क्र. 120-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इनके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	भैसाना	0.600	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजगढ़.	कुशलपुरा बहु. मध्यम सिंचाई परियोजना की मुख्य नहर में प्रभावित भूमि का अर्जन.
		योग . .	0.600		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 10 जनवरी 2014

क्र. 365-जि.भू. अ.2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना

है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी-1	परतापुर प.ह.न. 115	13.00	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 365-जि.भू. अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी-1	लखनवाड़ा प.ह.न. 114	4.00	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 365-जि.भू. अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील/रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी-1	आमाकोला प.ह.न. 129	5.00	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 365-जि.भू. अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. बण्डोल	चोरगरठिया प.ह.न. 36	15.00	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 365-जि.भू. अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी 2	सिमरिया प.ह.न. 11	26.00	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 365-जि.भू. अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी-1	कारीरात प.ह.न. 59	1.50	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 365-जि.भू. अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी-2	कोहका प.ह.न. 119	4.00	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 365-जि.भू. अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी-1	बम्होड़ी प.ह.न. 115	13.00	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 365-जि.भू. अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी-1	पिण्डरई प.ह.न. 126	7.50	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 365-जि.भू. अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) ते द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी-2	नरेला प.ह.न. 100	2.00	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 365-जि.भू. अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) ते द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी-1	गुन्दराई प.ह.न. 127	7.00	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 365-जि.भू. अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी-1	भण्डारपुर प.ह.न. 127	16.00	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 365-जि.भू. अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी-2	लोनिया प.ह.न. 102	20.00	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 365-जि.भू. अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. बण्डोल	भोंगाखेड़ा प.ह.न. 36	3.50	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 365-जि.भू. अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी-1	नगझर प.ह.न. 96	12.50	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 365-जि.भू. अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी-1	फरेदा प.ह.न. 114	3.00	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 365-जि.भू. अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी-1	सिमरिया प.ह.न. 113	13.00	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 365-जि.भू. अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी-1	चावडी प.ह.न. 128	17.00	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 2174-जि.भू. अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. बंडोल	चंदोरीखुर्द प.ह.न. 04	10.00	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 2175-जि.भू. अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. बंडोल	चंदोरीकला प.ह.न. 04	21.40	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 2176-जि.भू. अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. बंडोल	सागर प.ह.न. 03	5.30	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 2175-जि.भू. अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी-1	पालारी प.ह.न. 129	12.00	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन) जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 2176-जि.भू. अ.-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी

संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/रा.नि.म.	ग्राम	क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	सिवनी रा.नि.म. सिवनी-1	मरझोर प.ह.न. 113	4.00	कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग, सिंगना तह-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.).	पेंच परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(2) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 10 जनवरी 2014

प्र. क्र. 01-अ-82-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सम्पत्ति अर्जन हेतु प्रस्तावित ब्यौरा	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शिवपुरी	बैराड	खैरवानी	निजी भूमि 0.754	161	0.09	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, श्योपुर.	अपर ककैटो परियोजना की डूब क्षेत्र से प्रभावित रोड का नया प्रस्तावित रोड का निर्माण कार्य.
				155	0.306		
				156	0.024		
				154	0.198		
				135	0.136		
				योग :	0.754		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, पोहरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 02-अ-82-भू-अर्जन-13-14.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (8) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी

संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (7) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 की	सार्वजनिक
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	सम्पत्ति अर्जन हेतु प्रस्तावित ब्यौरा	खसरा नं.	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे. में)	उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शिवपुरी	बैराड	मानिकपुर	निजी भूमि हे. 1.702	28	0.102	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, श्योपुर.	अपर ककैटो परियोजना की डूब क्षेत्र से प्रभावित रोड का नया प्रस्तावित रोड का निर्माण कार्य.
				31	0.088		
				12/2	0.248		
				12/1	0.112		
				2	0.104		
				3	0.272		
				4	0.088		
				5	0.088		
				6	0.296		
				7	0.08		
				8	0.056		
				9	0.064		
				10	0.048		
				11	0.056		
			योग :		1.702		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी पोहरी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 13 जनवरी 2014

रा. मा.-क्र. 2-अ-82 वर्ष 2013-14-पत्र क्रमांक-1-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधन 1984 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हे. में.)	(2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नरसिंहपुर	गोटेगांव	गाडरवारा-खेड़ा नं. बं. 127 प.ह.नं. 88.	2.897	कार्यपालन यंत्री, हिरन जल संसाधन संभाग, जबलपुर.	गाडरवाराखेड़ा जलाशय की दांयी तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, नरसिंहुपर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सक्सेना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 28 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 100-अ-82-वर्ष 2012-2013.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—पन्ना
(ख) तहसील—पवई
(ग) ग्राम—इटांय
(घ) लगभग क्षेत्रफल—27.090 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	कुल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
(1)	(2)	(3)
775	0.180	निजी भूमि
776	0.140	निजी भूमि
777	0.040	निजी भूमि
778	0.060	निजी भूमि
779	0.070	निजी भूमि
781	0.030	निजी भूमि
780	0.220	निजी भूमि
802	0.460	निजी भूमि
803	0.290	निजी भूमि
797	0.070	निजी भूमि
799	0.290	निजी भूमि
801/1	0.210	निजी भूमि
801/2	0.210	निजी भूमि
804	0.180	निजी भूमि
807	0.120	निजी भूमि
805	0.060	निजी भूमि
806	0.170	निजी भूमि
808	0.110	निजी भूमि
813	0.130	निजी भूमि
895	0.160	निजी भूमि
966	0.330	निजी भूमि
815	0.120	निजी भूमि
821	0.140	निजी भूमि
822	0.330	निजी भूमि
816	0.590	निजी भूमि
819	0.050	निजी भूमि
817	0.360	निजी भूमि
818	0.520	निजी भूमि
820	0.240	निजी भूमि
823	0.340	निजी भूमि
824	0.280	निजी भूमि
826	0.470	निजी भूमि
798	0.030	निजी भूमि
827	0.040	निजी भूमि
829	0.070	निजी भूमि
875	0.090	निजी भूमि
828	0.300	निजी भूमि
860/2	0.180	निजी भूमि
954	0.470	निजी भूमि
831	0.130	निजी भूमि
861/2	0.020	निजी भूमि
854	0.010	निजी भूमि
855/2	0.050	निजी भूमि
856	0.260	निजी भूमि
857	0.200	निजी भूमि
858/1	0.160	निजी भूमि
858/2	0.160	निजी भूमि
859	0.400	निजी भूमि
860/1	0.090	निजी भूमि
862	0.110	निजी भूमि
863/1	0.280	निजी भूमि
866	0.140	निजी भूमि
870	0.200	निजी भूमि
863/2	0.140	निजी भूमि
863/3	0.140	निजी भूमि
964	0.470	निजी भूमि
864	0.070	निजी भूमि
865	0.110	निजी भूमि
867	0.080	निजी भूमि
868	0.050	निजी भूमि
869	0.190	निजी भूमि
871	0.180	निजी भूमि
872	0.100	निजी भूमि
873/1	0.130	निजी भूमि
873/2	0.110	निजी भूमि
877	0.270	निजी भूमि
887	0.310	निजी भूमि

(1)	(2)	(3)
916	0.110	निजी भूमि
878	0.030	निजी भूमि
879	0.170	निजी भूमि
880	0.020	निजी भूमि
885	0.080	निजी भूमि
886	0.140	निजी भूमि
881	0.080	निजी भूमि
884	0.140	निजी भूमि
888	0.150	निजी भूमि
920	0.140	निजी भूमि
882	0.050	निजी भूमि
883	0.220	निजी भूमि
889	0.150	निजी भूमि
891/1	0.220	निजी भूमि
890	0.130	निजी भूमि
891/2	0.140	निजी भूमि
917	0.090	निजी भूमि
892	0.730	निजी भूमि
893	0.640	निजी भूमि
825/1038	0.190	निजी भूमि
894	0.460	निजी भूमि
896	0.150	निजी भूमि
897	0.150	निजी भूमि
898	1.000	निजी भूमि
899	0.360	निजी भूमि
900	0.100	निजी भूमि
901	0.050	निजी भूमि
902	0.050	निजी भूमि
937	0.050	निजी भूमि
938	0.030	निजी भूमि
941	0.030	निजी भूमि
942	0.050	निजी भूमि
943	0.090	निजी भूमि
946	0.040	निजी भूमि
947	0.920	निजी भूमि
948	0.060	निजी भूमि
949	0.030	निजी भूमि
950	0.070	निजी भूमि
951	0.080	निजी भूमि
911	0.560	निजी भूमि
913	0.030	निजी भूमि
914	0.120	निजी भूमि
922	0.050	निजी भूमि
923	0.100	निजी भूमि
915	0.780	निजी भूमि
918	0.130	निजी भूमि
919	0.160	निजी भूमि
921	0.120	निजी भूमि
924	0.120	निजी भूमि
934	0.060	निजी भूमि
935	0.050	निजी भूमि
925	0.020	निजी भूमि
928	0.050	निजी भूमि
932	0.030	निजी भूमि
933	0.020	निजी भूमि
926	0.030	निजी भूमि
927	0.050	निजी भूमि
929	0.030	निजी भूमि
930	0.040	निजी भूमि
931	0.040	निजी भूमि
952/1	0.200	निजी भूमि
952/2	0.210	निजी भूमि
952/3	0.210	निजी भूमि
953/1	0.470	निजी भूमि
953/2	0.250	निजी भूमि
956	1.180	निजी भूमि
967/1	0.800	निजी भूमि
967/2	0.140	निजी भूमि
968/2	0.600	निजी भूमि
968/3	0.170	निजी भूमि
968/4	0.170	निजी भूमि
कुल रकबा निजी भूमि . .	27.090	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—इटांय तालाब योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पवई के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश चन्द गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अलीराजपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

क्र. 1498-भू-अर्जन-2013-प्र. क्र. 11-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है

कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अलीराजपुर
(ख) तहसील—अलीराजपुर
(ग) ग्राम/शहर—सोलिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.06 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)	अधिग्रहण किया जाने वाला रकबा
(1)	(2)	(3)
307	0.34 मे से	0.05
313	0.52 मे से	0.01
02	0.86	0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सोलिया तालाब की नहर हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, अलीराजपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन. पी. डेहरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला दतिया, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दतिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2013

प्र. क्र. 12-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—अशासकीय भूमि

(क) जिला—दतिया
(ख) तहसील—दतिया
(ग) ग्राम—राजापुर
(घ) अर्जित क्षेत्रफल—7.46 हेक्टेयर.

सर्वे नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
2	0.01
3	0.02
23	0.02
26	0.03
28	0.22
29	0.10
30	0.48
31	0.15
34	0.60
35	0.48
36	0.12
37	0.09
66	0.10
67	0.15
68	0.13
69	0.06
70	0.04
71	0.10
82	0.10
83	0.11
84	0.07
96	0.11
98/1	0.02
113/3	0.11
113/4	0.11
116	0.11
117	0.22
118	0.10
119	0.08
120	0.06
123	0.01
124	0.03
161	0.03
162	0.06
168	0.18
169	0.04
170	0.05
171	0.03
185	0.09
186	0.22

(1)	(2)
187	0.03
199	0.13
203	0.03
205	0.04
206	0.05
207	0.07
215	0.01
216	0.32
217	0.15
218	0.06
219	0.04
220	0.08
221	0.04
223	0.17
224	0.06
262	0.03
263	0.12
266	0.03
267	0.15
269/2	0.10
271	0.33
272	0.04
274	0.04
809	0.33
816/2	0.10
821	0.07
योग :	7.46

(2) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता है—खैरी लरायटा लघु सिंचाई योजना की नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, भू-अर्जन शाखा, कलेक्ट्रेट, दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 1 जनवरी 2014

क्र. 22-भू-अर्जन-2014.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—चौरई

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-बींझावाड़ा, प.ह.नं. 22, ब.नं. 212, रा.नि.मंडल-चौरई.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-08.480 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)
579/1, 579/2, 584	1.280
585/3	0.130
578/1, 578/2	0.744
568	0.562
382/1, 400/1 ख	0.523
400/1 ग	0.392
379/2, 380/1	0.005
398/3	0.060
394/3	0.040
384/2, 385/1, 386/1, 399/1, 385/3 क, 386/3 क, 399/3 क	0.463
394/1	0.522
392/2, 393/1, 395/1	0.090
283/2, 284, 288/2	0.392
282/11, 283/6	0.240
282/4, 283/3	0.120
282/10, 283/5	0.202
282/1	0.032
286/1	0.316
282/5	0.320
282/3, 286/6	0.060
280/5 ख, 280/8	0.354
276, 277, 278	0.355
266/1, 266/2	0.290
267/2	0.170
270/1	0.818
योग . .	08.480

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अन्तर्गत बांयी तट नहर से निकलने वाली बखारी शाखा नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर उपसंभाग क्रमांक-04, चौरई तहसील-चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेशचन्द्र चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला हरदा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

हरदा, दिनांक 1 जनवरी 2014

क्र. 20-भू-अर्जन-1-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—हरदा
(ख) तहसील—सिराली
(ग) नगर/ग्राम—बेडियाकलां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.049 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
262/2	0.101
261/1	0.162
258/4	0.048
258/3	0.040
187/1	0.036
189/1, 189/2, 189/3, 189/4	0.170
192	0.056
198/1, 198/2, 198/3, 198/4	0.138
156/2	0.097
157/1, 157/2, 157/3	0.061
262/3	0.081
261/2	0.081
258/1	0.040
257/1, 257/2, 257/3, 257/4	0.239
187/4	0.069
193/1, 193/2, 193/3, 193/4, 193/5	0.194
191	0.121
156/4	0.138
156/1, 156/3, 156/4	0.129
158/5	0.048
योग . .	2.049

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—वाफला माइनर की 8 एल सब-माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 28-भू-अर्जन-07-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—
(क) जिला—हरदा
(ख) तहसील—खिरकिया

(ग) नगर/ग्राम—कालधड

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.172 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
189/1	0.150
191/4	0.073
190/2	0.137
136/2	0.016
143/8	0.096
141/4	0.222
141/3	0.052
191/1	0.073
191/2	0.016
136/1	0.129
144/16	0.016
143/5	0.052
141/2	0.050
143/4	0.090
योग . .	1.172

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—चारूवा माइनर की 7 एल एवं 9 एल सब-माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 22-भू-अर्जन-09-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—हरदा

(ख) तहसील—खिरकिया

(ग) नगर/ग्राम—पोखरनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.892 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
531/1	0.226
532/4	0.316
562/1	0.359
562/3	0.089
562/5	0.078
568/2	0.049
563/1, 561/1	0.077
563/4	0.113
555/1	0.048
554/2	0.012
465/3	0.163
466/4	0.105
531/2	0.171
559/1	0.348
562/2	0.121
562/4	0.081
568/1	0.044
563/2	0.121
563/5	0.125
563/3	0.040
555/2	0.118
465/1	0.080
466/23	0.008
योग . .	2.892

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—चारूवा माइनर की 12 एल सब-माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 26-भू-अर्जन-10-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—हरदा

(ख) तहसील—खिरकिया

(ग) नगर/ग्राम—हथनोरी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.704 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
6	0.243
4/6	0.082
12/4	0.060
12/1	0.009
5	0.150
4/7	0.084
12/5	0.076
योग . .	0.704

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—चारूवा माइनर की 7 एल सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 24-भू-अर्जन-14-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—हरदा

(ख) तहसील—खिरकिया

(ग) नगर/ग्राम—बंसतपुरा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.130 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
112/4	0.101
112/6	0.061
112/3, 112/2, 112/9	0.174
111	0.089
109/1	0.021
108/2	0.028
107/1	0.012
104/2	0.052
103/2	0.048
112/5	0.086
112/8, 112/7, 112/13	0.174
112/11	0.101
110	0.033
109/2	0.020
108/1	0.028
107/2	0.041
104/1	0.041
103/1	0.020
योग . .	1.130

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—चारूवा माइनर की 6 आर सब-माइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 30-भू-अर्जन-15-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—हरदा

(ख) तहसील—खिरकिया

(ग) नगर/ग्राम—लोनी

(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.409 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
43/1	0.089
43/3	0.041
42	0.016
10/4	0.303
8/3	0.142
14/3	0.202
15/2	0.045
20/2	0.109

(1)	(2)
43/2	0.315
41	0.113
39/2	0.323
8/2	0.311
14/2	0.085
14/1	0.194
26/2	0.012
20/1	0.109
योग . .	2.409

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—वाफला माइनर की 16 आर एवं 17 एल सब माइनर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, खिरकिया एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग हरदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजनीश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 4 जनवरी 2014

पत्र क्र. 154-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुक्षी
(ग) ग्राम—घटबोरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.613 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	ली जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
470/2, 184/1	0.247
185/1	0.385
231/1	0.056
231/7	0.020
302/1	0.290
207/1/2	0.615
योग . .	1.613

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—थाना तालाब के निर्माण कार्य से प्रभावित होने से.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

पत्र क्र. 159-भू-अर्जन-13.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—धार
(ख) तहसील—कुक्षी
(ग) ग्राम—चिजवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.292 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	ली जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
167/5	0.292
योग . .	0.292

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—थाना तालाब के निर्माण कार्य से प्रभावित होने से.

(4) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी कुक्षी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्र. 1 धार जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 7 जनवरी 2014

क्र. 124-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन (श्यामपुरा तालाब के निर्माण में प्रभावित भूमि) के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—राजगढ़

(ख) तहसील—जीरापुर

(ग) नगर/ग्राम—श्यामपुरा, बालाहेड़ा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—21.757 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
ग्राम—श्यामपुरा क्षेत्रफल 16.061	
1/16/1	0.077
1/1/1/16	2.000
1/25/1	0.253
1/26/1	0.125
1/25/2	0.253
1/26/2	0.125
1/28/1	1.351
1/28/2	0.651
1/28/3	0.980
1/29/1	1.193
1/29/2	1.194
1/29/3	1.194
1/32/1	0.809
1/32/2	0.809
1/32/3/1	1.000
1/32/3/2	0.810
1/46	0.202
1/1/1/15/3	0.409
1/31/3	0.202
1/1/1/15/4	0.131
1/31/4	0.068
1/1/1/15/1	0.409
1/31/1	0.202
1/1/1/15/5	0.130
1/31/5	0.068
1/1/1/5/2	0.409
1/31/2	0.202
1/1/1/15/6	0.130
1/31/6	0.068
1/48	0.101
1/52	0.506
—	—
ग्राम—बालाहेड़ा क्षेत्रफल 5.696	
86/1	1.569
86/2/1	0.784
86/2/2	0.784
87/1	0.147
87/2	0.148
87/3	0.148
87/4	0.148
88/1/1	0.906
88/1/2	0.202
184/1/2/1	0.759
184/9	0.101
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
योग . .	16.061
महायोग .	.21.757

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—श्यामपुरा तालाब के लिये अर्जित की जानी वाली प्रभावित भूमि हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आनन्द कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मंदसौर, दिनांक 8 जनवरी 2014

प्र. क्र. 08 अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित

भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की भानपुरा नहर परियोजना के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—मन्दसौर
(ख) तहसील—भानपुरा
(ग) ग्राम—भानपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—17.959 हेक्टर.

सर्वे नम्बर	रकबा (हे. में.)	अर्जित संपत्तियों का विवरण
(1)	(2)	(3)
334	1.581	
337/2/1	0.150	
344/2	0.325	
344/3	0.050	
329/1	0.225	
329/2	0.622	
347/1	0.750	कुआं पक्का 01, मकान 30X20 पक्का 01
347/2	1.200	
604	0.214	
601/1/1	0.007	
557	1.011	कुआं कच्चा 01 एवं कुआ पक्का 01
592	0.368	
558	0.032	
587	0.053	
589/1	0.186	
590	0.081	
1615	0.575	कुआ, पक्का 01
1616	0.290	
1633	0.100	
1509	0.030	
1510/2/2	0.030	कुआं, पक्का 01
1585	0.020	
1587	0.430	
1590/2	0.241	
1606	0.032	
1609	0.364	
1610/3	0.121	कुईया पक्की 01
1610/1	0.190	
1610/2	0.102	
1638/2	0.349	
1639/1/1	0.333	
1662	0.065	
1650	0.368	
1651	0.010	
1652	0.108	
1653	0.162	कुआं कच्चा 01 कुआं पक्का 01
1655	0.008	
1660	0.146	
1661	0.069	कुईया पक्की 01
1664/1	0.040	
556/3/2	0.030	
556/1/3	0.150	
556/1/4	0.016	
337/1/2	0.090	
331/3/4	0.176	
331/2	0.300	
601/2	0.202	
601/1/2	0.033	
603/2	0.473	पक्का कुआं 01 एवं मकान 01
1579/1/1	0.340	
1580	0.204	
605	0.113	कुआं पक्का 01
586/2	0.002	
586/1	0.100	
588/1	0.051	
589/2	0.010	
601/1/1	0.041	
603/1	0.474	
681/1	0.102	
682	0.145	
556/1/1	0.300	
556/1/2	0.012	कुआं कच्चा 01
556/3/1	0.010	
333/1/2	0.202	
331/3/3	0.176	
330	0.526	
331/1/2	0.135	
333/2	0.081	
346/1/2	0.202	
331/1/1	0.250	
344/1	0.084	

(1)	(2)	(3)
1579/2	0.150	
1579/1/3	0.200	
1582	0.350	
1586	1.041	
1611	0.150	
योग . .	17.959	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—भानपुरा नहर परियोजना यूनिट-प्रथम हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी गरोठ जिला मंदसौर के यहां किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 8 जनवरी 2014

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 2-अ-82-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—खरगापुर
(ग) नगर/ग्राम—गुना
(घ) लगभग क्षेत्रफल—30.945 हेक्टर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
160	1.081
170	0.032
157	0.036
158	0.105
159	0.181
161	0.081
167	0.129
169	0.057
171	1.833
172	0.085
173	0.291
174	0.053
175	0.547
176	0.563
178	0.158
177	0.125
179	0.570
293	0.041
294	0.004
297	0.069
300	0.093
301	0.121
305	0.061
306	0.049
309	0.214
310	0.388
311	0.380
312	0.352
2055/2	0.177
2087	0.077
2090	0.032
2088	0.105
2089	0.194
2090/2958	0.065
2090/2059	0.061
2090/2960	0.032
2091	0.255
2092	0.073
2062/2955	0.028
2082/2956	0.040
2093	0.129
2097	0.733
2096	0.603
2094	0.146
2095	0.247
2098	0.271

(1)	(2)
2101	1.123
2106/2	1.058
2106/3	1.342
2107	1.422
2108	0.559
2110	0.028
2114	0.069
2111	0.186
2118	0.219
2112	0.125
2116	0.271
2117	0.008
2120	0.101
2113	0.101
2115	0.247
2119	0.085
2121	0.239
2122	0.101
2123	0.166
2124	0.028
2125	0.214
2126	0.356
2128	0.101
2129	0.234
2130	0.186
2132	0.113
2133	0.178
2127	0.183
2131	0.121
2134	0.320
2151	0.263
2154	0.279
2155	0.113
2157	0.061
2136	0.214
2137	0.020
2138	0.028
2139	0.332
2140	0.271
2144	0.393
2141	0.348

(1)	(2)
2145	0.053
2146	0.040
2150	0.049
2135	0.320
2142	0.154
2143	0.146
2147	0.073
2148	0.146
2149	0.142
2152	0.142
2153	0.129
2156	0.109
2158	0.049
2159	0.995
2160	0.045
2161	0.036
2162	0.332
2163	0.194
2165	0.263
2166	0.644
2167	0.352
2169	0.170
2164	0.271
2170	0.380
2168	0.028
2178	0.582
2109	0.125
2179	0.235
2180	0.048
2073	0.300
2054	0.500
275/1ब	0.085
275/1	0.093
275/स	0.032
284	0.048
285	0.089
287	0.219
288	0.085
290	0.019
291	0.065
298	0.089

(1)	(2)
299	0.134
303	0.028
304	0.016
307	0.102
292	0.016
—	—
—	—
योग . .	30.945

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—देवपुर तालाब के बांध डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 3-अ-82-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—खरगापुर

(ग) नगर/ग्राम—चौबारा

(घ) लगभग क्षेत्रफल—19.647 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1379	0.032
1406	0.196
1400	0.154
1401	0.130
1391	0.070
1397	0.190
1399	0.194
1398	0.336
1408	0.109
1410	0.190
1411	0.070
1448	0.125
1446	0.138
1479	0.117
1444	0.060
1451	0.049
1454	0.069
1455	0.190
1456	0.032
1463	0.045
1389	0.060
1447	0.283
1450	0.200
1452	0.368
1453	0.049
1461	0.024
1458	0.061
1460	0.036
1462	0.061
1464	0.057
1465	0.073
1467	0.053
1457	0.125
1459	0.263
1466	0.049
1470	0.198
1471	0.105
1472	0.077
1473	0.024
1475	0.020
1476	0.194
1477	0.097
1478	0.105
1478	0.024
1480	0.089
1481	0.117
1482	0.109
1483	0.109
1484	0.125
1485	0.902
1474	0.166
1468	0.138
1469	0.275
1501	0.182

(1)	(2)
1500	0.101
1492	0.101
1496	0.024
1502	0.097
1493	0.214
1503	0.101
1494	0.036
1497	0.032
35/2	0.142
109/924	0.316
36/2	0.024
1516	0.101
1515	0.235
1513	0.081
1512	0.049
1510	0.024
1509	0.380
1508	0.170
1505	0.174
1511	0.235
1506	0.170
1514	0.247
1507	0.247
1527	0.650
1541	0.061
1543	0.045
1542	0.065
1539	0.230
1540	0.656
1525	0.154
1524	0.854
1520	0.085
1521	0.012
1522	0.020
1523	0.093
1519	0.077
1518	0.109
1568	0.050
1576	0.057
1570	0.053
1574	0.053
1575	0.053
1569	0.030
1572	0.271
1565	0.004
1564	0.052
1550	0.040
1571	0.352
1563	0.054
1573	0.182
1544	0.785
1545	0.053
1546	0.227
1487/1579	2.411
1486	0.676
1487	0.016
1488	0.502
योग . .	19.647

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—देवपुर तालाब योजना के डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 4-अ-82-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—खरगापुर

(ग) नगर/ग्राम—बनपुरा सापौन

(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.568 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
813	0.004
834	0.004

(1)	(2)
833	0.004
815	0.004
840	0.405
841	0.045
842	0.134
843	0.121
844	0.053
845	0.466
846	0.032
852	0.041
848	0.008
692	0.073
693	0.036
705	0.092
706	0.226
712	0.097
711	0.008
707	0.045
708	0.085
714	0.032
713	0.053
715	0.028
717	0.166
719	0.044
723	0.032
735	0.166
730	0.117
731	0.008
732	0.008
733	0.053
727	0.174
722	0.170
721	0.097
738	0.138
737	0.024
734	0.045
720	0.085
736	0.044
718	0.081
746	0.097
747	0.008
763	0.057
740	0.016
739	0.008
741	0.142
744	0.251
745	0.036
748	0.113
749	0.008
750	0.161
751	0.275
753	0.097
754	0.271
755	0.008
756	0.121
758	0.081
742	0.012
743	0.109
752	0.129
757	0.020
–	–
योग . .	5.568

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—देवपुर तालाब योजना के डूब क्षेत्र निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-प्र. क्र. 5-अ-82-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—टीकमगढ़

(ख) तहसील—खरगापुर

(ग) नगर/ग्राम—देवपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.471 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
12	0.004
15	0.081
13	0.024
14	0.008

(1)	(2)
18	0.081
19	0.279
20/1	0.077
20/2	0.077
21	0.045
22	0.261
23	0.121
24	0.020
25	0.238
31	0.480
32	0.380
30	0.040
28	0.081
29	0.016
33	0.089
35/1	0.032
36/1	0.045
110/द/2	0.154
59/4	0.016
61/5	0.040
35/2	0.016
109/924	0.036
36/2	0.028
40	0.138
56	0.158
61/1	0.020
43	0.214
52	0.121
59/3	0.008
35/3	0.008
36/3	0.012
61/2	0.012
109/द	0.150
37	0.089
46	0.142
35/4	0.008
48	0.186
110/द/1	0.028
36/4	0.036
59/2	0.012
61/3	0.008
38	0.190
55	0.251
59/5	0.008
61/4	0.020
47	0.097
58	0.125

(1)	(2)
39	0.138
54	0.251
59/1	0.004
110अ	0.032
110	0.181
41	0.502
42	0.194
44	0.190
51	0.138
57	0.125
45	0.239
50	0.162
49	0.020
53	0.008
61/1अ	0.049
62	0.032
63	0.036
65	0.166
72	0.324
75	0.089
61/3/अ	0.101
64	0.108
71	0.077
74	0.101
66	0.142
67	0.433
70	0.077
68	0.093
76	0.202
61अ/2	0.053
69	0.097
77	0.206
73	0.024
78/2	0.055
78/1	0.008
80	0.045
81	0.028
88/918	0.243
88/द/1	0.397
11	0.118
90	0.053
91	0.016
92	0.045
94	0.348
93	0.235
96/1	0.271
95	0.016

(1)	(2)
97	0.563
96/2	0.150
88/9/9	0.016
102	0.012
100	0.077
110स	0.044
109न	0.057
114	0.210
113	0.060
योग . .	12.471

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—देवपुर तालाब के बांध डूब क्षेत्र एवं नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बल्देवगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुदाम खाड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अशोकनगर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अशोकनगर, दिनांक 9 जनवरी 2014

क्र. भू-अर्जन-33-36-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—अशोकनगर
(ख) तहसील—मुंगावली
(ग) नगर/ग्राम—उमरिया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.900 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
44 मि.	0.063
46/5	0.052
46/13	0.941
46/16	2.068
71/2	0.052
71/3	0.031
71/1	0.083
72/2	0.034
72/3	0.034
72/4	0.035
72/1	0.034
75/1	0.677
87/2	0.575
96	0.158
97	0.063
योग . .	4.900

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—उमरिया तालाब की स्पिल चैनल एवं एप्रोच चैनल के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा एवं सम्पत्ति का विवरण भू-अर्जन अधिकारी मुंगावली एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, संभाग अशोकनगर में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 10 जनवरी 2014

क्र. 2174-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—सिवनी
(ग) नगर/ग्राम—चारगांव, प. ह. नं.-118, ब. नं.-165, रा. नि. मं.-सिवनी-1.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—12.86 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
254	0.59
253	0.02

(1)	(2)
227	0.110
228/2	0.05
228/1	0.34
204	0.41
203	0.35
201/1	0.50
200/2	0.18
17	0.30
15/2	0.39
16	0.03
12	0.05
11	0.03
10	0.54
9	0.05
79/1	0.04
56/1	0.34
71/2	0.43
72	0.29
75	0.43
74	0.41
94/2	0.12
94/3	0.30
93/1	0.96
97	0.45
101	0.13
137	0.55
139	0.15
321/1	0.05
202	0.300
323	0.24
324	0.14
321/2	0.80
319/2	0.09
331/1	0.41
332/3	0.23
333/2	0.04
364/1	0.06
364/3	0.43
364/4	0.36
350	0.28
362	0.50
93/2	0.010
योग . .	12.48

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत सिवनी शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी तहसील, सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच, व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी देखा जा सकता है.

क्र. 2177-भू-अर्जन-2013.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सिवनी

(ख) तहसील—सिवनी

(ग) नगर/ग्राम—हथनापुर, प. ह. नं.-12, ब. नं.-597, रा. नि. मं.-बण्डोल.

(घ) लगभग क्षेत्रफल—27.00 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
108/2	0.75
108/3	0.13
116	0.68
125	0.03
126	0.07
112	0.07
127	0.03
128	0.26
129/2	0.60
129/3	0.09
129/1	0.01
130	0.02
107/2	0.11
140/1	0.05
140/2	1.09
138	0.05
139	0.05

(1)	(2)
554	0.32
553	0.14
555	0.11
571/2	0.18
550/1	0.01
550/2	0.93
569	0.54
570	0.12
571/1	0.24
575	0.18
643	0.13
581/2	0.74
581/3	0.13
581/4	0.40
573/1	0.20
635/1	0.29
363	0.83
640/3	0.58
632	0.44
652	0.39
653	0.13
654	0.40
655	0.07
650	0.43
646/1	0.50
636/2	0.12
645	0.28
644/2	0.26
642	0.20
640/4	0.12
529/2	0.13
518/6	0.54
682	0.12
681	0.01
517	0.54
683	0.38
684	0.12
687	0.67
691	0.15
688/1	0.02
690	0.58
689	0.38
703	0.19
701	0.15
702	0.34
699	0.05
710/1	0.02
747/4	0.23
837	0.62
827	0.90
748/6	0.01
747/6	0.38
746/1	0.55
802/4	0.20
801	0.24
798	0.77
802/3	0.20
796	0.01
746/2	0.55
807/2	0.06
700/1	0.37
700/2	0.37
272/1	1.10
272/2	0.10
811/2	0.16
811/3	0.02
270	0.36
264/5	0.01
271	0.35
567/4	0.01
819/1	0.42
योग . .	27.00

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत बाखारी शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं

अनुविभागीय अधिकारी, तहसील सिवनी, जिला सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच, व्यपवर्तन परियोजना, नहर संभाग सिंगना, तहसील-चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भरत यादव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 13 जनवरी 2014

प्र. क्र. 2-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बलरामपुर नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—बासौदा
(ग) ग्राम—पड़रिया (बासौदा)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—7.368 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
102/2	0.295
103/1	0.105
442/2	0.216
443	0.108
445	0.098
447	0.299
466	0.088
427	0.241
425/1	0.098
419	0.038
423	0.222
424	0.174
483	0.370
496	0.206
495/1	0.048
500	0.244
501	0.010
502/1	0.364
505	0.083
507	0.079
508/1	0.158
509	0.150
511	0.049
512	0.216
394/2/1	0.253
391/3	0.216
384/3	0.052
385	0.183
386	0.046
387	0.118
413	0.099
497	0.024
498	0.078
410/1	0.088
107	0.017
99/2	0.049
108	0.300
93	0.081
92/2	0.042
90	0.112
85	0.075
86/1	0.084
82	0.066
81/2	0.070
78	0.020
109	0.063
110	0.109
106	0.309
135	0.077
136	0.052
132	0.063
174	0.109
202	0.081
245/1र	0.125
83	0.004
119	0.004
137	0.025
138	0.009
440	0.018
485	0.158
498	0.130
योग . .	7.368

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—बलरामपुर नहर परियोजना के नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग, गंज बासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बलरामपुर नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—बासौदा
(ग) ग्राम—जरोद
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.940 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
49	0.152
50/3	0.017
51/1	0.063
53	0.024
56	0.096
57	0.018
44/1	0.223
92	0.035
93	0.070
95	0.052
96	0.070
89	0.035
100	0.048
306/1	0.168
306/2	0.130
309	0.122
342/2	0.080
58	0.072
59	0.122
60	0.010
61	0.048
62	0.053
63	0.052
64	0.039
67	0.073
342/3/1	0.066
342/3/2	0.052
योग . .	1.940

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—बलरामपुर नहर परियोजना के नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग, गंज बासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की बलरामपुर नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—बासौदा
(ग) ग्राम—मालीखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.490 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
8	0.012
9	0.016
10	0.018
119	0.016
137	0.048
138	0.046
139/1	0.004
141	0.036
148	0.052
179	0.008
182	0.078
183	0.040
184	0.116
योग . .	0.490

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—बलरामपुर नहर परियोजना के नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह्य नदी संभाग, गंज बासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उकायला नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—बासौदा
(ग) ग्राम—बीलाढ़ाना
(घ) लगभग क्षेत्रफल—9.210 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1/1	0.100
1/2	0.100
2	0.106
3	0.108
4	0.029
23	0.066
24/3	0.060
29	0.092
30	0.077
32	0.113
39	0.169
40	0.183
114	0.180
115/1	0.092
115/2	0.053
116	0.058
126/1/2	0.160
126/1/3	0.215
126/2	0.124
128/1/2	0.035
130	0.102
150	0.065
151	0.065
174	0.089
180/1	0.148
180/2	0.204
181	0.148
183/1	0.064
183/2	0.064
190/1/1	0.124
190/2/1/2	0.113
192/2	0.135
193/1	0.095
193/2	0.090
193/3/1	0.022
193/3/2	0.018
193/4	0.020
196/2	0.290
198/1	0.167
200	0.313
205	0.113
210	0.135
211	0.153
213	0.017
216/2	0.484
217	0.036
222/5	0.054
222/7	0.108
227/5	0.094
230	0.280
231	0.300
232	0.270
238/2	0.050
282	0.006
283/3	0.119
451	0.009
452/1	0.060
452/2	0.111

(1)	(2)
452/3	0.143
452/4	0.060
453	0.223
454/1	0.050
454/2	0.230
454/3	0.100
455	0.181
456	0.014
466	0.075
467	0.074
468	0.040
470	0.138
537	0.110
538	0.193
539	0.248
549	0.074
460/1	0.160
460/2	0.128
465/2	0.114
योग . .	9.210

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—उकायला नहर परियोजना के नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि के नक्शे/प्लान का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 6-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उकायला नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—बासौदा
(ग) ग्राम—शिवरामपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.100 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
525	0.100

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—उकायला नहर परियोजना के नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि के नक्शे/प्लान का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग, गंज बासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 7-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उकायला नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—बासौदा
(ग) ग्राम—करहैया
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.952 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
287/3	0.189
288	0.205
289	0.216
291	0.270
294/1	0.183
294/2	0.145
293	0.421
305/2	0.211
304/2	0.162
303/1	0.189
311	0.005
323/3	0.259
322/1/1	0.108
321	0.081
356	0.400

(1)	(2)
357/1	0.100
358	0.205
367	0.189
368	0.324
365	0.037
377/2	0.151
376	0.194
353/2	0.205
348/3	0.036
348/2	0.068
348/1	0.014
349/1क	0.014
349/1ख/2	0.144
228	0.126
229	0.090
230/3	0.036
231/2क	0.054
200	0.216
196	0.560
233/1	0.150
233/2	0.210
172/1	0.101
172/2/1	0.079
172/2/2	0.147
171/1	0.007
188	0.151
360/1	0.100
360/2	0.175
354/2	0.007
353/1	0.018
योग . .	6.952

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—उकायला नहर परियोजना के नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि के नक्शे/प्लान का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 8-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उकायला नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—बासौदा
(ग) ग्राम—हरगनाखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—6.013 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
523	0.031
459/1	0.196
459/2	0.012
461	0.298
462	0.060
463/1	0.026
463/2	0.156
464	0.235
465	0.131
475	0.272
476	0.287
478	0.313
479	0.016
480/2	0.181
480/3	0.212
480/4	0.093
529	0.067
530	0.141
532	0.093
533	0.019
534/1	0.164
534/2	0.075
536	0.056
553	0.423
554	0.297
556	0.225
558	0.250
562	0.126
563	0.126
564	0.354
567	0.063

(1)	(2)
568	0.343
625	0.672
योग . .	6.013

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—उकायला नहर परियोजना के नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि के नक्शे/प्लान का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गंज बासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 9-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उकायला नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—बासौदा
(ग) ग्राम—उकायला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.516 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
7	0.063
8	0.090
21/2	0.095
26/1	0.085
149	0.040
212/1	0.045
212/3	0.135
144	0.060
146	0.052
203/1	0.110
205/1	0.015
206/3	0.030
206/1	0.052
206/2	0.020
212/2	0.030
215	0.105
214	0.040
217/2क	0.040
426	0.046
425/1	0.080
430/1	0.040
423/2/2क	0.033
210/2	0.080
444	0.070
446	0.060
योग . .	1.516

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—उकायला नहर परियोजना के नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि के नक्शे/प्लान का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 10-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उकायला नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—बासौदा
(ग) ग्राम—रोजरू
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.340 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
34	0.178
35	0.105
303	0.057
योग . .	0.340

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—उकायला नहर परियोजना के नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि के नक्शे/प्लान का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 11-अ-82-2012-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उल्लेखित भूमि की उकायला नहर परियोजना की नहर के निर्माण हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—बासौदा
(ग) ग्राम—चक्क अंबानगर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.720 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	अर्जित किए जाने वाला अनुमानित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
92	0.001
94	0.168
95	0.184
97	0.092
96/1	0.045
96/2	0.043
103/2	0.204
102/3	0.085
105	0.092
106/1	0.071
106/2	0.034
106/3	0.024
107	0.027
109/1ख	0.041
110/1	0.300
125	0.005
126/1	0.054
126/2/2	0.071
162/2/1	0.007
127/1	0.090
128/2	0.031
135/1	0.051
योग . .	1.720

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भू-अर्जन की आवश्यकता है—उकायला नहर परियोजना के नहर के निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण.

(3) भूमि के नक्शे/प्लान का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, गंजबासौदा एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना, बाह्य नदी संभाग, गंजबासौदा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 13 जनवरी 2014

प्र. क्र. 1-अ-82-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—विजयराघवगढ़
(ग) ग्राम—मेहगांव(महगवां), नं. बं. 107, प. ह. नं. 09
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.32 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
134	0.32

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन कटनी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 2-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—विजयराघवगढ़
(ग) ग्राम—अमेहटा, नं. बं. 06, प. ह. नं. 09
(घ) लगभग क्षेत्रफल—14.08 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
157	0.82
267	0.28
339	1.25
341	0.12
260	0.24
269	0.09
270	0.57
356	0.03
360	0.05
362	0.77
363	1.00
372	0.02
373	0.07
377	0.01
374	0.05
375	0.26
386	0.06
399	0.04
266	0.35
380	0.14
401	0.05
268/1, 268/2	0.92
364/1, 364/2	0.03
365/1, 365/2	0.02
343/1, 343/2	1.35
344/1, 344/2	0.84
381/1, 381/2	0.19
384/1, 384/2	0.35
383/1, 383/2	1.57
385/1, 385/2	0.35
161/1, 161/2	0.77
382	1.08
271	0.01
361	0.11
379	0.15
162	0.07
योग . .	14.08

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर के कारण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 3-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—विजयराघवगढ़
(ग) ग्राम—नन्हवाराकला, नं. बं. 74, प. ह. नं. 10
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.91 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
338/1, 338/2	1.12
103	0.21
77	0.08
78	0.03
82	0.08
88	0.32
93	0.22
351	0.78
375	0.01
377	0.21
378	0.61

(1)	(2)
79/1, 79/2	0.82
80/1, 80/2, 80/3, 80/4	0.65
81/1, 81/2, 81/3	0.63
376/1, 376/2, 376/3, 376/4, 376/5	1.78
337	1.04
379	0.26
105	0.06
योग . .	8.91

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर के कारण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 4-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—विजयराघवगढ़
(ग) ग्राम—बड़ारी, नं. बं. 96, प. ह. नं. 10
(घ) लगभग क्षेत्रफल—13.04 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
235	0.05
236	1.67
239	0.07
247	0.31
322	0.52
328	0.54
351	0.24
353	0.85
364/1, 364/2, 364/3, 364/4, 364/5, 364/6, 364/7,	0.36
252	0.24
352	0.42
363	0.43
371	0.49
372	1.38
370	0.74
242/1, 242/2	0.42
251/1, 251/2	0.03
329/1, 329/2	0.24
326	0.12
323	0.11
320	0.03
321	0.05
317	0.70
318	0.41
258	0.34
255	0.53
254	0.45
248	0.11
249	0.22
250	0.55
241/1, 241/2, 241/3, 241/4	0.15
256/1, 256/2, 256/3, 256/4	0.21
327	0.06
योग . .	13.04

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर के कारण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 5-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित

किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—कटनी
(ख) तहसील—विजयराघवगढ़
(ग) ग्राम—कलहरा, नं. बं. 383, प. ह. नं. 13
(घ) लगभग क्षेत्रफल—11.25 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
126	0.08
183/1, 183/2	0.05
66/1, 66/2	2.01
39	0.01
63/1, 63/2	1.21
60	0.07
40	0.04
61	0.29
117/1, 117/2	0.70
62/1, 62/2	0.38
42	0.13
43	0.42
73	0.01
114	0.75
106	0.69
115	0.11
116	0.11
125	0.70
128	0.83
130	0.01
127/1, 127/2, 127/3	0.96
184	0.25
185	0.62
37	0.23
38	0.27
41	0.10
44	0.08
138	0.14
योग . .	11.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बरगी व्यपवर्तन की विजयराघवगढ़ शाखा नहर के कारण.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बरगी व्यपवर्तन परियोजना कटनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 13 जनवरी 2014

क्र. 276-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—केसली
(ग) ग्राम—ईदलपुर, प.ह.नं. 10
(घ) लगभग क्षेत्रफल—8.11 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
2/128	0.59
4/6	0.73
56/3	0.35
4/2	0.08
4/3	0.17
4/4	0.15
4/5	0.16
4/7	0.08
16	1.35
21	0.20
56/1	0.66

(1)	(2)
56/2	0.54
56/4	0.15
57/1	0.98
112	1.20
57/2	0.01
57/3	0.10
57/4	0.06
113	0.40
67	0.15
योग . .	8.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये निर्माण जिसके लिये आवश्यकता है—सूरजपुरा (मध्यम) परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु अंतर्गत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केसली के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री संसाधन संभाग क्र. 2 केसली में किया जा सकता है.

क्र. 277-भू-अर्जन-2013-14.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—केसली
(ग) ग्राम—घाना, प.ह.नं. 7
(घ) लगभग क्षेत्रफल—60.37 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
38	0.44
102	0.44
108	0.25
244	0.28
97/2	0.30
58	2.05
59	2.35
263	0.50
60/1	0.90
61/1	0.40
60/2	0.90
61/2	0.25
63	2.44
103	0.25
106	0.29
64	1.64
65	1.35
66/1	3.75
139/1	0.56
259	1.80
261	4.61
66/2	0.81
66/3	0.22
139/2	0.58
66/4	1.21
68/1	0.09
69/2	2.36
68/2	3.57
68/3	0.43
69/1	0.47
264/1	0.32
265	2.12
97/1	0.10
104	0.28
105	0.28
107/2	0.25
128	0.14
134	0.20
138	0.32
129	0.38
130	0.03
132	0.16
133	0.15
136/3	0.03
254/1	0.25
137	0.26
247/1	0.80

(1)	(2)
247/2	0.61
273	2.17
247/3	0.80
248	0.10
252	0.03
264/2	0.14
272	0.52
253	0.40
254/2	0.15
255	0.05
256	0.55
257	1.05
260	0.22
109	0.06
269	4.00
267	0.06
270	0.92
274/1	1.10
274/2	1.10
275/1	0.57
277/1	0.06
279/1	1.32
277/2	0.06
279/2	0.20
279/3	0.30
280	0.25
283	0.25
285	0.15
286	0.67
287	0.20
55/2	0.21
55/3	0.21
55/4	0.30
111/1	0.03
योग . .	60.37

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये निर्माण जिसके लिये आवश्यकता है—सूरजपुरा (मध्यम) परियोजना के बांध एवं डूब क्षेत्र हेतु अंतर्गत कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व केसली के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, केसली में किया जा सकता है.

क्र. 278-भू-अर्जन-2014-पूरक प्र. क्र. 05-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—सागर
(ख) तहसील—बण्डा
(ग) ग्राम—बम्होरी जगदीश
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.50 हेक्टेयर. (निजी भूमि)

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
955	0.86
953	0.02
958	0.90
965	1.00
986	0.27
885	0.05
987/2	0.20
908/1	0.20
योग . .	3.50

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है—बम्होरी जगदीश जलाशय योजनान्तर्गत भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 1, सागर, जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
योगेन्द्र शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 17 जनवरी 2014

प्र. क्र. 07-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—भोपाल
(ख) तहसील—बैरसिया
(ग) नगर/ग्राम—रमपुरा खुर्द
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.753 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
89/1ख/1	0.010
86	0.600
89/1ख/2	0.405
89/2	0.520
79/1/4ग	0.147
87	0.451
84/2	0.370
83/2	0.420
79/4/4	0.560
85/1	0.682
85/2	0.492
79/1/5/2ख	0.096
योग . .	4.753

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, बैरसिया के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

भोपाल, दिनांक 21 जनवरी 2014

प्र. क्र. 08-अ-82-12-13.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—भोपाल
(ख) तहसील—बैरसिया
(ग) नगर/ग्राम—चाटाहेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.479 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
288/1/4	1.215
288/1/3	0.120
288/1/5/2	0.144
योग . .	1.479

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—संजय सागर बाह मध्यम परियोजना के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, जिलाध्यक्ष के कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, बैरसिया के कार्यालय एवं कार्यपालन यंत्री, संजय सागर परियोजना बाह नदी संभाग, गंजबासौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निशांत वरवड़े, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.